गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिसूचना कमांक 16, 1983 के द्वारा स्थापित)

क्र. ..327../अका./संब/2009 बिलासपुर, दिनांक ..02/2/09

:अधिसूचना::

विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा की प्रत्याशा में शासकीय महाविद्यालय, घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2008-09 के लिए ही नीचे उल्लेखित कक्षा/विषयों की पूर्णतः अस्थायी संबद्धता विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ नितांत अस्थायी रूप से प्रदान किया जाता है :-

निर्धारित शर्तें :-

1. शासन/विश्वविद्यालय नियमों, परिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
2. जिन शर्तों के अंतर्गत किसी पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को पूर्व में विश्वविद्यालय की संबद्धता प्रदान की गई है उन शर्तों का अनिवार्यतः पालन किया जाय ।
3. संचालित विषय हेतु पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था के साथ ही संबंधित विषय पर पर्याप्त संदर्भ ग्रंथ, उपकरण, फर्नीचर एवं पुस्तकें खरीदी जावें ।
4. निरीक्षण समिति द्वारा संबद्धता न दिये जाने की अनुशंसा नहीं किये जाने की स्थिति में प्रदत्त अस्थायी संबद्धता को समाप्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा ।
5. निर्धारित शर्तों की पूर्ति माह मार्च, 2009 तक करते हुये पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में यह संबद्धता आगामी सत्र से स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।

क0	कक्षा/विषय	निर्धारित छात्र संख्या
1.	बी.ए. भाग-प्रथम-आ.पा. हिन्दी सा. अंग्रेजी सा. भूगोल राजनीति अर्थशास्त्र	50
2.	बी.एस.सी. भाग-प्रथम-आ.पा. गणित रसायन प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र	50
3.	बी.कॉम. भाग-प्रथम-सभी अनिवार्य विषय	50

आदेशानुसार,

कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 02/2/2009

क्र. ..328../अका./संब/2009

प्रतिलिपि :-

1. सचिव/आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा संचालनालय, छ.ग.शासन, रायपुर के सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय, घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को इस आशय के साथ प्रेषित की शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि तक विश्वविद्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता शुल्क की राशि रूपये 16000/- तत्काल विश्वविद्यालय कोष में जमा करावें अन्यथा छात्रों का परीक्षा आवेदन फार्म अमान्य करने के साथ ही संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही किया जायेगा ।
4. उपकुलसचिव, परीक्षा/सहायक कुलसचिव, गोपनीय/संचालक, महाविद्यालयीन विकास परिषद/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्ताधिकारी, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संबद्धता प्रमाण पत्र

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) ... 01,
फोन 07752 2.... 31, फैक्स 07752-260294, ई-मेल bilaspuruniversity2012@gmail.com,
वेबसाईट www.bilaspuruniversity.ac.in

बिलासपुर दिनांक 07/12/16

क्रमांक 1107 /अका /2016

आदेश

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग,रायपुर की अनुमति के आधार पर शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)को शैक्षणिक सत्र 2016–17 से नीचे उल्लेखित विषय/पाठ्यक्रम के लिये विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ सीट वृद्धि प्रदान किया जाता है:–

क्र.	विषय / पाठ्यक्रम	पूर्व प्रदत्त	वर्तमान अनुशंसित	कुल संख्या
1.	बी.ए.भाग –प्रथम	100	40	140
2.	बी.एस.सी.–भाग(प्रथम–बायो समूह)	50	20	70

निर्धारित शर्तें:–

1. महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम–2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जाये।

आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 7/12/16

पृ.क्रमांक 1108 /अका./2016

प्रतिलिपि:–

1. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सहायक कुलसचिव
(अकादमी)

H.C.
for N.A.
(हस्ताक्षर) 7.12.2016

सीट वृद्धि संबंधित प्रमाणपत्र

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3–44/16/38–1

रायपुर, दिनांक 12/08/2016

प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, नया रायपुर

विषय :– मुख्य बजट वर्ष 2016–17 में प्रावधान अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय एवं पद सृजन की स्वीकृति

संदर्भ :– आपकी टीप क्रमांक 11/आ.उ.शि./योजना 2016

राज्य शासन, एतद् द्वारा, बजट वर्ष 2016–17 में मांग संख्या क्रमांक 44, 41 एवं 64 अंतर्गत प्रावधान अनुसार निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों में निम्नानुसार स्नातक स्तर पर उनके समक्ष दर्शाए पाठ्यक्रम/नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने तथा सहायक प्राध्यापक, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है :–

1. मांग संख्या 44 :–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	विषय	सृजित पद		
				सहायक प्राध्यापक	प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक
1	2	3	4	5	6	7
1	शास. शहीद बापूराव महाविद्यालय, सुकमा जिला–सुकमा	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1		
			प्राणीशास्त्र	1	2	2
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		
2	शास. गजानंद माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय, सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1		
			प्राणीशास्त्र	1	2	2
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		
		बी.कॉम	वाणिज्य	3	—	—
3	शास. राजीव गांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी, जिला–मुंगेली	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1		
			प्राणीशास्त्र	1	2	2
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		
4	शास. मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1		
			प्राणीशास्त्र	1	2	2
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		

निरंतर...

Scanned with CamScanner

//4//

उक्त पदों के सृजन पर आने वाला व्यय मांग संख्या-44-उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा-(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0101-राज्य आयोजना सामान्य-(103)- सरकारी कॉलेज और संस्थाएं-798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय, आयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। मांग संख्या 41 :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	विषय	सृजित पद		
				सहायक प्राध्यापक	प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक
1	2	3	4	5	6	7
1	शास.पं. माधवराव सप्रे महाविद्यालय, पेण्ड्रारोड, जिला-बिलासपुर	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र प्राणीशास्त्र वनस्पतिशास्त्र भौतिकशास्त्र गणित	1 1 1 1 1	2	2
2	शास. मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, कोरबा, जिला-कोरबा	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र प्राणीशास्त्र वनस्पतिशास्त्र भौतिकशास्त्र गणित	1 1 1 1 1	2	2
3	शास. लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर जिला-राजनांदगांव	बी.एस.सी.	प्राणीशास्त्र वनस्पतिशास्त्र	1 1	1	1
4	शास. दण्डकारण्य महाविद्यालय, केशकाल, जिला-कोण्डागांव	बी.एस.सी.	गणित भौतिकशास्त्र	1 1	–	–
5	शास. नवीन महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद	बी.एस.सी.	गणित भौतिकशास्त्र	1 1	–	–
6	शास. शहीद गैंद सिंह महाविद्यालय, चारामा, जिला-कांकेर	बी.एस.सी.	गणित भौतिकशास्त्र	1 1	–	–
7	शास. महाविद्यालय, घरघोड़ा, जिला-रायगढ़	बी.एस.सी.	भौतिकशास्त्र	1	–	–
8	शास. राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा	बी.एस.सी.	कम्प्यूटर साईंस	1	–	–
9	शास. लरंगसाय महाविद्यालय, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर	बी.एस.सी.	गणित भौतिकशास्त्र	1 1	–	–
10	शास.इंदरु केवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर, जिला-कांकेर	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र प्राणीशास्त्र वनस्पतिशास्त्र	1 1 1	2	2

निरंतर....

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लाक सी--30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन
नया रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक 38/11/आउशि/योजना/16 नया रायपुर दिनांक 17/08/2016

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त संबंधित शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :- मुख्य बजट वर्ष 2016-17 में प्रावधान अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय एवं पद सृजन की स्वीकृति।

---00---

विषयांतर्गत लेख है कि छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-44/16/38-1 दिनांक 12.08.2016 के द्वारा प्रदेश के 62 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन विषय/संकाय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गयी है, साथ ही साथ नवीन विषय/संकाय/पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु आवश्यक पदों का सृजन किया गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

उक्त पत्र में उल्लेखित नवीन विषयों में से *बी.एस.सी.- माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्युटर साईंस, सूचना प्रौद्योगिकी, बी.सी.ए.-कम्प्युटर एप्लीकेशन में 30-30 सीट एवं शेष विषय/संकाय / पाठ्यक्रम (जैसे बी.एस.सी. बायो समूह, बी.एस.सी. गणित समूह, बी.ए, बी.कॉम) में 60-60 सीट निर्धारित की जाती है।*

कृपया पत्र में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये महाविद्यालय में स्वीकृत नवीन विषय/संकाय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करानें का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
कृते उच्च शिक्षा नया रायपुर (छ0ग0)

पृ.क्रमांक-39/11/आउशि/योजना/16 नया रायपुर दिनांक 17/08/2016

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नया रायपुर।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, बिलासपुर/अम्बिकापुर/जगदलपुर (छ.ग.)
3. कुल सचिव, प0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर/ कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग/कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर/ कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर/कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर की ओर उक्त महाविद्यालयों को नवीन विषय/संकाय हेतु संबद्धता प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही बाबत्।
4. शाखा प्रभारी, राजपत्रित/अराजपत्रित स्थापना शाखा/समन्वय शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर। .... की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा नया रायपुर (छ0ग0)

Scanned with CamScanner

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 No. 25 of 2009)

Ph.No. 07752-260021, Mob.No. 09926461044, 9479217990

क्रमांक– 1141/अका./संब./2011 बिलासपुर, दिनांक– 11/8/11

प्रति

प्राचार्य,
शास. महाविद्यालय,
धरघोड़ा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:– **छात्र संख्या में वृद्धि संबंधी ।**

संदर्भ:– छ.ग.शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय, रायपुर का पत्र कमांक एफ 15–2/2011/38–1 रायपुर, दिनांक 03.06.2011 एवं आपका पत्र कमांक 33/11 दिनांक 04/8/11

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में अवगत कराना है कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2011 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में छात्र संख्या में वृद्धि हेतु विश्वविद्यालय स्तरीय गठित समिति की अनुशंसा को मान्य करते हेतु आपके महाविद्यालय द्वारा पूर्व से संचालित संवद्धता प्राप्त विषय/पाठ्यक्रम में सत्र 2011–12 से निम्नानुसार छात्र संख्या प्रदान की जाती है :–

क्र.	विषय/पाठ्यक्रम	पूर्व निर्धारित छात्र संख्या	वर्तमान निर्धारित छात्र संख्या
1	बी.ए.	50	100

टीप – 1. वर्तमान छात्र संख्या में वृद्धि भूगोल विषय के लिये लागू नहीं होगा ।
2. छ.ग.शासन,उच्च शिक्षा विभाग से सीट वृद्धि के संबंध में अनुमति प्राप्त करने का दायित्व महाविद्यालय का होगा ।

आदेशानुसार,
11/8/11
उप–कुलसचिव (अकादमिक)

पृ.क्रमांक 1145 /अका./2011 बिलासपुर, दिनांक – 11.08.11

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास.विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सीट संख्या के अनुसार महाविद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
2. संचालक,म.वि.प./अधिष्ठाता,छात्र कल्याण/परीक्षा नियंत्रक/सहा.कुलसचिव(गोप./परीक्षा) को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा संचालनालय,क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्राचार्य, शास.जे.पी.वर्मा कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. कुलपति/उप–कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव/शीघ्रलेखक/निज सहायक को सूचनार्थ प्रेषित ।

सहा.कुलसचिव (अका.)

Scanned with CamScanner